न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
पीठासीन अधिकारी चम्पालाल जीनगर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 11/2016

सायल	बनाम	गैर सायल
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर		गंगाराम पुत्र मीसाराम जाति मेघवाल निवासी कुचेरा पुलिस थाना कुचेरा जिला नागौर

<u>इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(3) राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975</u>

निर्णय

दिनांक 02.05.2025

1—जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर ने सहायक लोक अभियोजक नागौर के माध्यम से गैर सायल गंगाराम पुत्र मीसाराम जाति मेघवाल निवासी कुचेरा पुलिस थाना कुचेरा जिला नागौर के विरूद्ध यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत पेश कर अवगत करवाया है कि वाकियात इस्तगासा हाजा इस प्रकार है कि गंगाराम पुत्र मीसाराम जाति मेघवाल निवासी कुचेरा पुलिस थाना कुचेरा जिला नागौर का आले दर्जे का जुआरी है। जिसकी आम शोहरत खराब है। गैर सायल जुआ सट्टा के विभिन्न प्रकरणों में दण्डित हो रखा है। गैर सायल जुआ सट्टा की गतिविधियों में निरंतर सक्रिय है। जिसके विरूद्व प्रकरण दर्ज किये जाकर कानूनी कार्यवाही की गई है। लेकिन अपराधी की गतिविधियों में कोई कमी नहीं आयी है। गैर सायल का इलाका हाजा में स्वच्छंद विचरण करना व निवासरत रहना कतेई उचित नहीं है। इसका इलाका हाजा से निष्कासन किया जाना ही एकमात्र विकल्प है। गैर सायल का कृत्य धारा 2(ख) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के अतंर्गत गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः उक्त अपराधी को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही कर जिला नागौर से निष्कासित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

2—सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल की ओर से दिनांक 09-03-17 को श्री पांचाराम चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में सायल द्वारा अपने इस्तगासे के समर्थन में सहायक कलक्टर एवं कार्यपाल मजिस्ट्रेट (भू.) नागौर के प्रकरण संख्या 120/16 की फर्दअहकाम दिनांक 02.11.16 की फोटोप्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 25.05.01 की फोटोप्रति, अन्तिम सूचना रिपोर्ट दिनांक 29.05.21 की फोटोप्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 17.07.01 की फोटोप्रति, अन्तिम सूचना रिपोर्ट दिनांक 22.07.2001 की फोटोप्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16.11.05 की फोटोप्रति, अन्तिम सूचना रिपोर्ट दिनांक 23.11.05 की फोटोप्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16.10.16 की फोटोप्रति, अन्तिम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16.10.16 की फोटोप्रति, न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर के प्रकरण संख्या 574/16 फर्दअहकाम दिनांक 02.11.16 की फोटोप्रति पेश की गई।

02/1/25

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

3–उभयपक्ष की बहस सुनी गई। सहायक लोक अभियोजक द्वारा इस्तगासा के तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि गंगाराम पुत्र मीसाराम जाति मेघवाल निवासी कुचेरा पुलिस थाना कुचेरा जिला नागौर का निवासी है, जो जुआ सट्टा की खाईवाली करते बार–बार दस्तायाब किया जाकर न्यायालय में चालान पेश किये गये है, गैर सायल जुआ सट्टे करने का अभ्यस्त है तथा वर्ष 1986 से 2016 तक जुआ सट्टा की गतिविधियों में निरंतर सक्रिय रहता आया है। इसका नागौर व आस पास के इलाकों में दशहत व आतंक फैलाया हुआ है। उक्त गैर सायल का इलाका हाजा में स्वच्छंद विचरण करना एवं निवासरत रहना उचित नहीं है। गंगाराम पुत्र मीसाराम उम्र 47 वर्ष जाति मेघवाल निवासी कुचेरा पुलिस थाना कुचेरा जिला नागौर का कृत्य धारा 2(ख) राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत गुण्डा की परिभाषा में आता है। उक्त अपराधी को धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत जिला नागौर से निष्कासित किये जाने हेतु निवेदन किया गया जबकि गैर सायल के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि गैर सायल शांतिप्रिय व्यक्ति है तथा पिछले 10–11 सालों में उसके विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। उन्होंनें थानाधिकारी कुचेरा की रिपोर्ट दिनांक 12.04.25 की ओर से ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि गैर सायल के खिलाफ अंतिम प्रकरण संख्या 202 दिनांक 16.10.16 धारा 13 आरपीजीओ दिनांक 02.11.16 को निर्णित हो चुका है तथा इस मामले के बाद आज तक कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है तथा न ही गैर सायल कोई अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है इसलिए यह कार्यवाही समाप्त की जानी चाहिए।

4– उभयपक्ष की बहस का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर सायल के विरूद्ध वर्ष 2016 के पश्चात कोई प्रकरण दर्ज नही होना तथा अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होना थानाधिकारी कुचेरा की रिपोर्ट दिनांक 12.04.25 से प्रतीत होता है ऐसी स्थिति में गैर सायल पिछले लम्बे समय से अपराधिक गतिविधियों मे लिप्त नही होना प्रतीत होता है तथा वर्तमान कार्यवाही को चलते हुए 9 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है इसके दौरान गैर सायल अपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया गया हो ऐसा कोई रिकोर्ड नही है, ऐसी स्थिति में गैर सायल के विरूद्व वर्तमान कार्यवाही को चलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

5–उपरोक्त विवेचन के आधार पर सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे में गैर सायल गंगाराम के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियत्रंण 1975 की धारा 3/3 की कार्यवाही आगे चलाये जाना उचित प्रतीत नहीं होने से कार्यवाही समाप्त की जाती है।

6–निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को सरे इजलास सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(चम्पालाल जीनगर)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

OFFICE FILE